भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- † 6422

उत्तर देने की तारीख- 02/04/2026

टीएसपी दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

† 6422. **श्री मनोज कुमार:**

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2006 में जारी समेकित दिशा-निर्देशों और 2014 में जारी संशोधित दिशानिर्देशों के बाद जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के कार्यान्वयन के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों द्वारा इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले दस वर्षों के दौरान टीएसपी के अंतर्गत किए गए आवंटन और व्यय का मंत्रालयवार और राज्यवार, विशेषकर बिहार में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विशेषकर बिहार से टीएसपी के अंतर्गत नियत की गई निधि के विपथन, अल्प उपयोग या दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं;

(ङ) यदि हां, तोतत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्रवाई क्या है; और

(च) क्या सरकार का टीएसपी के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और निधि के विपथन को रोकने के लिए कोई विधान लाने या निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने का विचार है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(**श्री दुर्गादास उइके**)

(क) और (ग) जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) तंत्र को जारी रखा गया है लेकिन इसका नाम बदलकर अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) कर दिया गया है। नीति आयोग ने वर्ष 2017 में डीएपीएसटी के लिए निधियां निर्धारित करने हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. मंत्रालयों/विभागों को योजनाओं के कुल आवंटन का कुछ प्रतिशत आवंटित करने के लिए अधिदेशित किया गया है।
ii. निर्धारण का प्रतिशत आबादी के अनुपात में 50% से कम नहीं होना चाहिए या कार्य दल (टास्क फोर्स) द्वारा तय किया गया हो या वास्तविक के अनुसार, जो भी अधिक हो।
iii. मंत्रालयों/विभागों को एससीएसपी (SCSP) तथा डीएपीएसटी (DAPST) के लिए निर्धारित निधियों को अलग-अलग बजट शीर्षों के अंतर्गत रखना आवश्यक है।
iv. केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत आवंटन का राज्य-वार वितरण, विशेष रूप से लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के तहत संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी के अनुपात में किया जाना चाहिए
v. निगरानी के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को लागू कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और गैर- अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच विकासात्मक अंतर को पाटने और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए हर वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं।

राज्य सरकारों को राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी (जनगणना 2011) के अनुपात में कुल योजना आवंटन के संबंध में टीएसपी निधियां निर्धारित करनी होती हैं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपनी स्वयं की निधियों से टीएसपी के लिए किए गए आवंटन और व्यय का विवरण https://statetsp.tribal.gov.in पर उपलब्ध है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित निधियों के साथ-साथ योजनाएं केंद्रीय बजट दस्तावेज के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10ख में लिंक: https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat10b.pdf. में दी गई हैं।

पिछले 10 वर्षों में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार राज्य सहित आवंटित और जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

(ख): केंद्र सरकार ने योजनाओं के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों में विभिन्न जनजातीय विकास योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) डीएपीएसटी निधियों संबंधी दिशा-निर्देशों, आवंटन और व्यय के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बाध्य मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकें आयोजित करता है। बाध्य मंत्रालयों/विभागों की सभी प्रमुख योजनाओं के संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे उचित और सार्थक चर्चा के लिए इन बैठकों में भाग लें। समीक्षा बैठकों में डीएपीएसटी आवंटन के साथ अलग-अलग योजनाओं के आवंटन, व्यय और कार्यान्वयन पर चर्चा की जाती है। बाध्य मंत्रालयों/विभागों से आग्रह किया जाता है कि वे अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट लाभ प्रदान करने वाली योजनाओं के तहत डीएपीएसटी निधियों के आवंटन के लिए नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करें और बाध्य मंत्रालयों/विभागों से आग्रह किया जाता है कि वे आवंटित निधियों का पूर्ण और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें।

मंत्रालय ने डीएपीएसटी के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए दो मिशन अर्थात् प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किए हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) योजना के तहत आवंटन की प्रभावी निगरानी के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा योजना/कार्यक्रम-वार आवंटन को केंद्रीय बजट के विवरण 10ख में दर्शाया गया है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्रालय-वार आवंटन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, विवरण 10खख और विवरण 10खखख क्रमशः पीएम-जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए आवंटन संबंधी समर्पित जानकारी प्रदान करते हैं। उचित जवाबदेही और निधियों के गैर-विचलन (गैर-विपथन) को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके अनुदानों की विस्तृत मांगों में डीएपीएसटी के तहत आवंटन को लघु शीर्ष '796' के तहत दर्शाया जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा डीएपीएसटी निधियों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली (https://stcmis.gov.in) विकसित की गई है। यह प्रणाली सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से सीधे डेटा प्राप्त करती है और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए आवंटन(नों) के सापेक्ष व्यय की वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त, पीएम गति शक्ति पोर्टल पर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड वास्तविक समय डेटा का उपयोग करके मंत्रालय-वार और उपाय-वार प्रगति की निगरानी प्रदान करते हैं, जिससे

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए लक्षित योजना और अंतर विश्लेषण संभव हो पाता है।

(घ) से (ङ): उचित जवावदेही और निगरानी के लिए और किसी अन्य योजना के लिए उनकी गैर-विचलनशीलता सुनिश्चित करने के लिए, डीएपीएसटी के तहत आवंटित निधियों को सभी बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके अनुदानों की विस्तृत मांगों में कार्यात्मक प्रमुख शीर्ष/उप प्रमुख शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष '796' के तहत दिखाया जाता है। अनियमितताओं के मामलों को संबंधित मामले में लागू नियम के अनुसार प्रत्येक योजना या दिशानिर्देश के तहत दंडात्मक प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाता है।
(च) वर्तमान में, मंत्रालय निम्नलिखित कारणों से निधि आवंटन और उपयोग में सुधार के लिए केंद्रीय स्तर पर कोई कानून लाने पर विचार नहीं कर रहा हैः

- केंद्रीय बजट 2026-27 में बाध्य मंत्रालयों/विभागों के कुल योजना बजटीय आवंटन में से 1,39,189.53 करोड़ रुपये की राशि (संघ राज्यक्षेत्र आवंटन को छोड़कर) डीएपीएसटी निधियों (बीई) के रूप में आवंटित की गईं हैं, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 (23206.14 करोड़ रुपये) के डीएपीएसटी निधि आवंटन (बीई) से लगभग छह गुना अधिक है।

- पिछले पांच वर्षों के दौरान डीएपीएसटी निधि का उपयोग संशोधित अनुमान (आरई) के 92% से अधिक रहा है।

- उचित जवाबदेही और निगरानी के लिए और किसी अन्य योजना के लिए उनकी गैर-विचलनशीलता सुनिश्चित करने के लिए, डीएपीएसटी के तहत आवंटित निधियों को सभी बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके अनुदानों की विस्तृत मांगों में कार्यात्मक प्रमुख शीर्ष/उप-प्रमुख शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष '796' के तहत दिखाया जाता है।

- नीति आयोग नियमित रूप से मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करता है और आवश्यकतानुसार अद्यतित या नए दिशानिर्देशों को जारी करता है।

- मंत्रालय ने डीएपीएसटी के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए दो मिशन अर्थात -पीएम जनमन और डीएजेजीयूए शुरू किए हैं। विधेयक को लागू करने से, डीएपीएसटी का कार्यक्षेत्र सीमित हो सकता है और मंत्रालय को अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए संतृप्ति प्रक्रिया (मोड) में इस तरह की नई पहलों को शुरू करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड, राजस्थान और तमिलनाडु ने राज्य जनजातीय उप योजना के संबंध में पर्याप्त आवंटन और प्रभावी व्यय सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए हैं।

अनुलग्नक I

"टीएसपी दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री मनोज कुमार द्वारा दिनांक 02.04.2026 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं.6422 के भाग (क) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

हाल के वित्तीय वर्षों के दौरान मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों और लाभार्थियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत निधियों का ब्यौरा:

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई निधि और लाभार्थियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
		निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	निर्मुक्त निधि (उपयोगिता प्रमाणपत्र देय नहीं है)
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.05	0.06	0.12	0.08			0.10	
2	आंध्र प्रदेश	19.83	0.00	52.83	12.11	7.36	14.34	39.35		57.00	30.77	
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	2.67			
4	असम	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.17	1.02	1.07	1.88	1.00	
5	बिहार	3.75	0.00	0.00	0.00	71.31	0.00	0.00				
6	छत्तीसगढ़	36.07	25.34	18.05	47.56	47.97	35.42	0.00		52.50		
7	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव						2.34	2.07				
8	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.20	0.38						
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.08	0.00	0.06						
10	गोवा	0.00	0.53	0.04	0.81	0.81	0.41	0.00	1.08	0.53	0.36	
11	गुजरात	37.46	0.81	36.51	44.82	52.48	21.99	36.89	54.52	62.00	9.23	
12	हिमाचल प्रदेश	0.96	0.51	0.00	0.39	0.84	0.92	0.00	0.79	1.10		0.93
13	जम्मू और कश्मीर	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
14	झारखंड	0.00	0.00	17.05	23.46	15.14	0.00	38.99		57.00		
15	कर्नाटक	0.00	0.00	13.65	12.56	18.47	0.00	17.53	23.70	34.00	7.00	29.40

16	केरल	3.00	7.96	0.00	3.09	2.87	1.17	3.47		4.36	1.00	
17	लद्दाख						0.42	0.74			0.40	1.00
18	मध्य प्रदेश	43.00	0.00	55.39	58.84	76.99	54.29	114.58	127.44		53.05	75.87
19	महाराष्ट्र*											
20	मणिपुर	0.00	8.67	6.19	7.73	4.43	0.00	0.00				
21	मेघालय	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15		0.70	5.06
22	मिजोरम	0.00	3.36	1.32	3.20	7.02	1.68	6.57		3.07		4.76
23	नागालैंड	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00				
24	ओडिशा	49.00	33.76	51.35	66.66	61.58	69.45	52.37	93.97		29.50	43.55
25	पुडुचेरी					0.00	0.02	0.00				
26	राजस्थान	0.00	0.00	32.85	17.16	53.47	31.27	62.34	35.31		22.36	
27	सिक्किम	0.00	0.00	0.26	0.08	0.04	0.09	0.00	0.18			0.20
28	तमिलनाडु	6.00	0.00	0.00	0.00	5.90	2.41	5.47	4.04	3.62	0.60	8.13
29	तेलंगाना	0.00	0.00	3.58	6.94	0.00	0.00	0.00		1.50	0.00	
30	त्रिपुरा	13.04	0.00	2.33	0.00	3.86	2.52	0.59	11.37		6.92	2.23
31	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88				
32	उत्तराखंड	1.07	0.00	1.04	0.00	0.00	1.38	0.00		0.15	0.70	
33	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	5.85	8.94	7.88	9.13		29.89		
	कुल	**228.69**	**84.15**	**294.09**	**311.51**	**439.98**	**248.90**	**394.14**	**357.29**	**308.60**	**163.69**	**171.13**

*** राज्य ने अपने स्वयं के कोष से योजना को लागू किया**

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत निधियो का ब्यौरा:

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई निधि और लाभार्थियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वित्तीय वर्ष 2025-26**
		निर्मुक्त निधि	**निर्मुक्त निधि**	**निर्मुक्त निधि**	**निर्मुक्त निधि**	**निर्मुक्त निधि**	**निर्मुक्त निधि**	**निर्मुक्त निधि**	**निर्मुक्त निधि**	**निर्मुक्त निधि**	**निर्मुक्त निधि**	**निर्मुक्त निधि (उपयोगिता प्रमाणपत्र देय नहीं है)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.10	0.11	0.13	0.10			0.10	
2	आंध्र प्रदेश	19.87	97.78	82.69	139.45	77.97	60.39	89.91	133.57	114.71	120.00	
3	अरुणाचल प्रदेश	11.38	11.36	58.04	18.84	61.13	57.13	123.61	96.16	80.00	100.00	85.00
4	असम	67.48	2.67	25.16	32.48	48.67	54.14	10.93	68.45	35.00	79.71	
5	बिहार	0.00	0.00	0.71	0.00	15.25	7.08				4.43	

6	छत्तीसगढ़	47.65	26.75	38.11	46.10	70.23	87.90		93.30	71.25	70.00	81.79
7	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव						34.82			4.04	4.90	
8	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89						
9	दमन और दीव	0.00	0.54	0.26	0.03	0.00						
10	गोवा	3.56	6.45	3.65	5.36	7.33	4.58		11.87	5.27	5.00	4.909
11	गुजरात	55.20	220.40	146.10	324.29	140.04	229.78	461.70	244.26	350.00	231.22	864.62
12	हिमाचल प्रदेश	13.50	9.31	31.23	2.78	24.69	0.00				5.00	15.25
13	जम्मू और कश्मीर	24.94	25.88	23.23	6.38	10.48	8.05		6.84	7.46	9.95	14.99
14	झारखंड	0.00	81.48	27.17	52.81	78.63	0.00	126.55		53.11	200.00	
15	कर्नाटक	58.39	85.40	88.73	73.41	150.03	0.00	170.81		225.56	125.00	147.68
16	केरल	0.00	31.22	27.45	26.74	16.42	32.85	25.16		46.89	29.00	62.36
17	लद्दाख						7.38	22.14	18.91	5.96	35.00	35.0890
18	मध्य प्रदेश	30.65	130.54	103.21	134.05	121.99	123.44	245.29	270.49	350.00	250.00	343.70
19	महाराष्ट्र	52.10	220.92	108.85	152.38	155.75	181.50	192.15	90.27	570.36	117.81	379.10
20	मणिपुर	35.88	33.85	63.83	20.27	62.36	21.84	42.92	41.38	30.00	25.00	27.07
21	मेघालय	32.75	31.89	7.71	24.58	0.00	0.00	26.36	146.20	85.00	145.08	236.01
22	मिजोरम	49.28	42.68	24.35	35.28	44.16	34.47	38.75	25.90	25.00	24.00	50.43
23	नागालैंड	26.46	13.44	25.15	47.17	32.69	32.26	44.36	36.08	35.00	62.00	23.10
24	ओडिशा	40.50	155.56	87.84	148.02	166.40	190.96	218.43	171.33	135.64	294.00	407.39
25	पुडुचेरी					0.00	0.20				0.00	
26	राजस्थान	108.90	98.00	199.12	135.99	259.51	255.57	137.45	188.10	220.00	350.00	
27	सिक्किम	4.00	9.38	12.47	11.34	5.67	5.54	10.36	9.25		6.00	9.35
28	तमिलनाडु	22.67	30.62	24.40	39.34	50.25	33.29	48.49	28.54	20.00	25.00	26.33
29	तेलंगाना	96.50	114.83	180.31	99.22	196.11	272.98	75.04	238.51	112.50	152.50	
30	त्रिपुरा	17.00	13.24	27.56	36.27	23.56	48.05	71.89	45.22	40.00	74.94	42.73
31	उत्तर प्रदेश	0.00	10.58	12.45	12.11	18.23	22.19			10.00	15.00	
32	उत्तराखंड	9.00	50.91	6.00	0.00	0.00	0.00	35.68		1.88	2.70	7.45
33	पश्चिम बंगाल	29.48	0.00	28.08	22.19	24.11	22.56	38.72		34.06	35.00	
	कुल	**857.14**	**1555.68**	**1463.86**	**1646.98**	**1862.66**	**1829.08**	**2256.80**	**1964.63**	**2668.69**	**2598.34**	**2864.33**

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा जारी निधियां और उसके उपयोग की रिपोर्ट निम्नानुसार है (लाख रुपये में):

क्र.सं.	राज्य	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
		निर्मुक्त निधियां	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई उपयोगिता	निर्मुक्त निधियां	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई उपयोगिता	निर्मुक्त निधियां	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई उपयोगिता	निर्मुक्त निधियां	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई उपयोगिता	निर्मुक्त निधियां	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई उपयोगिता	निर्मुक्त निधियां	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई उपयोगिता
1.	आंध्र प्रदेश	2139.00	2139.00	5500.00	5500.00	2869.43	2869.43	4591.11	4591.11	6390.77	6390.77	8942.43	8942.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	1880.40	1880.40	3000.80	3000.80	6580.53	6580.53	8378.82	8378.82	12170.52	12170.520	13202.25	13202.25
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	844.12	844.12	0.00	0.00	3916.32	3916.32	10802.85	9927.80
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	1467.58	1433.89	991.89	654.63	0.00	0	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	10778.00	10778.00	11904.31	11904.31	10488.52	10488.52	10964.49	10964.49	11352.92	11352.92	22500.77	22500.77
6.	गोवा	0.00	0.00	400.00	400.00	450.00	367.79	103.00	103.00	345.66	345.66	0.00	0.00
7.	गुजरात	8592.45	8592.45	11680.00	11680.00	9739.02	9739.02	11384.08	11384.08	11648.20	11240.2	16833.88	16583.88
8.	हिमाचल प्रदेश	190.99	190.99	523.20	523.20	1595.87	1595.87	2074.70	2074.70	3378.16	3378.16	5314.7	5314.70
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	2000.00	2000.00	3539.66	3539.66	3049.06	3049.06	2051.79	2051.79	5410	5410.00
10.	झारखंड	9873.00	9873.00	12202.96	12202.96	9489.38	9489.38	12386.93	12386.93	7354.30	7354.3	11166.77	11166.77
11.	कर्नाटक	4880.40	4880.40	6300.00	6300.00	4664.00	4664.00	5881.74	5881.74	5220.61	5220.610	10435.46	10435.46
12.	केरल	748.94	748.94	1085.44	1085.44	695.58	695.58	803.17	803.17	472.28	472.28	633.29	633.29
13.	मध्य प्रदेश	17321.42	17321.42	14845.15	14845.15	14971.43	14971.43	22399.48	22375.40	24635.30	22957.6	44938.92	44178.97
14.	महाराष्ट्र	11701.29	11701.29	13374.00	13374.00	11536.53	11536.53	13862.24	13862.24	17015.91	14299.46	23136.7	13306.36
15.	मणिपुर	1600.01	1600.01	1216.00	1216.00	1694.40	1694.40	2308.80	2308.80	5367.65	5095	6151.91	5351.91
16.	मेघालय	2334.03	2334.03	1507.68	1507.68	1576.21	1576.21	3603.40	3603.40	5129.79	5129.79	4799.53	4799.53
17.	मिजोरम	1877.78	1877.78	3617.37	3617.37	1927.49	1927.49	2504.41	2504.41	3507.71	3507.71	6598.83	6598.83
18.	नागालैंड	2067.15	2067.15	5469.34	5469.34	6368.00	6368.00	4434.11	4434.11	9194.49	9194.485	6802.11	6802.11
19.	ओडिशा	12728.22	12728.22	15200.00	15200.00	11954.96	11954.96	15995.30	15995.30	21449.15	21449.15	15110.66	15110.66

20.	राजस्थान	9755.92	9755.92	11000.00	11000.00	10341.39	10341.39	10240.58	10240.58	13769.23	13769.23	15586.19	15586.19
21.	सिक्किम	370.30	370.30	1250.30	1250.30	1147.00	1147.00	405.30	405.30	355.34	355.34	3175.35	3175.35
22.	तमिलनाडु	639.60	639.60	852.80	852.80	798.24	798.24	378.00	378.00	773.57	601.83	6356.07	6276.12
23.	तेलंगाना	3894.40	3894.40	6090.00	6090.00	3608.05	3608.05	5015.32	5015.32	3248.89	3248.89	9973.28	9973.28
24.	त्रिपुरा	1218.99	1218.99	1600.68	1600.68	1280.99	1280.99	2040.89	2040.89	2006.73	2006.73	2952.63	2952.63
25.	उत्तराखंड	743.49	743.49	1514.74	1514.74	1138.62	1138.62	189.00	189.00	252.43	252.43	2760.710	2760.710
26.	उत्तर प्रदेश	1530.36	1530.36	92.02	92.02	0.00	0.00	1577.56	1577.56	1255.27	1255.27	428.37	428.37
27.	पश्चिम बंगाल	5747.00	5747.00	7000.00	7000.00	5814.37	5814.37	5376.51	5376.51	9235.725	9235.725	12127.17	12127.17
कुल		**112613.14**	**112613.14**	**139226.79**	**139226.79**	**126581.37**	**126465.47**	**150939.99**	**150578.55**	**181498.72**	**176252.17**	**266140.83**	**253545.54**

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा जारी निधियां और उसके उपयोग की रिपोर्ट निम्नानुसार है (लाख रुपये में):

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य**	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25***	
		निर्मुक्त निधियां	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई उपयोगिता	निर्मुक्त निधियां	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई उपयोगिता	निर्मुक्त निधियां	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई उपयोगिता	निर्मुक्त निधियां	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई उपयोगिता	निर्मुक्त निधियां	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई उपयोगिता
1	आंध्र प्रदेश	2055.55	2055.55	2638.65	2555.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9841.55	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	6014.00	6014.00	9830.00	9830.00	7265.30	7265.30	6740.00	6705.74	10030.00	3025.00
3	असम	4592.37	4033.345	2570.000	2392.33	2300.00	2011.69	3294.12	1978.52	4286.23	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	642.08	642.08	1001.01	818.91	871.24	614.88	524.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	9976.24	9976.24	11604.02	11604.02	13578.43	13562.43	15676.77	3524.39	14506.46	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	600.41	400.41	667.79	667.79	150.00	0.00	479.91	44.31

7	गुजरात	5940.04	5637.87	6923.79	5091.71	7549.12	6037.65	4584.77	1667.04	2727.27	0.00
8	हिमाचल प्रदेश	1161.00	1297.00	1500.00	1383.91	1655.00	990.43	1696.45	456.95	2244.23	941.38
9	झारखंड	10278.00	10278.00	12264.19	10715.62	6677.87	5642.87	14299.82	0.00	5147.06	0.00
10	कर्नाटक	3305.68	3305.68	3210.00	3210.00	4297.57	4297.57	4070.00	377.56	4730.26	0.00
11	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	817.67	0.00	1910.44	0.00	395.81	0.00
12	मध्य प्रदेश	4279.78	3689.47	5319.10	3851.89	8438.75	2751.16	15741.70	145.10	9183.585	0.00
13	महाराष्ट्र	4573.16	617.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	1067.36	533.68	2456.35	100.00	1981.32	0.00
15	मेघालय	492.71	492.71	1595.25	1333.02	2904.84	2353.65	3127.29	1093.50	2217.40	0.00
16	मिजोरम	1909.71	1909.71	2971.54	2971.54	1654.05	1654.05	2897.97	1891.08	2143.80	0.00
17	नागालैंड	1717.38	1717.38	3202.39	3202.39	5863.47	5303.07	5020.11	1614.60	2050.50	0.00
18	ओडिशा	6304.62	6304.62	11382.05	11382.05	10150.55	10150.55	6870.56	0.00	10107.95	0.00
19	राजस्थान	9166.00	9166.00	10435.21	9088.65	11002.53	6592.23	8940.07	5385.04	4626.61	959.94
20	सिक्किम	516.00	495.47	2045.00	2045.00	720.38	642.69	1754.38	1024.67	4485.06	300.00
21	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1146.26	650.49	0.00	2019.665	481.64
22	तेलंगाना	2517.00	2517.00	2050.00	2050.00	3114.46	3114.46	5169.00	5169.00	13797.00	0.00
23	त्रिपुरा	201.74	201.74	607.53	607.53	1294.71	1194.71	4226.39	2399.59	4151.82	0.00
24	उत्तराखंड	927.426	927.43	832.71	832.71	1135.82	1041.66	1353.63	0.00	1829.90	0.00
25	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	100.65	100.65	306.02	12.05	964.05	0.00	0.00	0.00

26	पश्चिम बंगाल	4041.14	4041.14	0.00	0.00	4186.50	3873.98	4744.40	2017.63	3549.61	0.00
कुल		**79969.546**	**74678.345**	**92324.57**	**85291.21**	**97649.2**	**81658.84**	**117210**	**36165.29**	**117057**	**5752.27**

*अनंतिम

जनजातीय उप-योजना/प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत जारी किए गए निधियों की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता															
		2013-14	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		
		कुल	कुल	उपयोगिता प्रमाण पत्र	कुल	उपयोगिता प्रमाण पत्र	कुल	उपयोगिता प्रमाण पत्र	कुल	उपयोगिता प्रमाण पत्र	कुल	उपयोगिता प्रमाण पत्र	कुल	उपयोगिता प्रमाण पत्र	कुल	उपयोगिता प्रमाण पत्र	
		निर्मुक्ति	निर्मुक्ति	(यूसी) प्राप्त हुआ	निर्मुक्ति	(यूसी) प्राप्त हुआ	निर्मुक्ति	(यूसी) प्राप्त हुआ	निर्मुक्ति	(यूसी) प्राप्त हुआ	निर्मुक्ति	(यूसी) प्राप्त हुआ	निर्मुक्ति	(यूसी) प्राप्त हुआ	निर्मुक्ति	(यूसी) प्राप्त हुआ	
1	आंध्र प्रदेश	5789	2937.82	2937.82	3500	3500	5000.42	5000.42	3624.77	3624.77	5617.39	5617.39	12470.5	5478.41	4954.96	0	
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2211.83	2211.83	9224.29	9224.29	7015.5	1775.7	
3	असम	6563.63	1788.59	1788.59	5844	5844	3407.8	3407.8	0	0	0	0	2710.08	2710.08	4578.76	4578.76	
4	बिहार	0	403	0	1368.26	0	743.74	595.71	0	0	0	0	0	0	994	0	
5	छत्तीसगढ़	9478	9826.5	9826.5	10809.64	10809.64	11717.82	11717.82	14327.57	14327.57	10342.65	10342.65	9415.53	9415.53	8769.06	8769.06	
6	डीएनडीडी	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	गोवा	0	0	0	0	0	455.68	455.68	559.09	559.09	352.31	352.31	0	0	724.26	710.32	
8	गुजरात	8448	10382.74	10382.74	10566.5	10566.5	9488	9488	10270.41	10270.41	11765.38	11765.38	8975.55	8975.22	10786.4	10786.4	
9	हिमाचल प्रदेश	1768	997.99	997.99	475	475	1959.39	1959.39	2291.2	2291.2	3628	3628	2394.18	2394.18	1367	1367	
10	जम्मू और कश्मीर	1702.41	0	0	2000	2000	3671.61	3671.61	3626.5	3626.5	3749.8	3749.8	4509	4509	0	0	
11	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	झारखंड	12187	9571.11	9571.11	10000	10000	9820.75	9820.75	11372.49	11372.49	8564.52	8564.52	6201.49	6201.49	7049.64	2168.98	
13	कर्नाटक	2471	3000	3000	4370	4370	5100	5100	5955.37	5955.37	5347.76	5347.76	7434	7434	0	0	
14	केरल	549	530	530	357.5	357.5	808.09	808.09	808.43	808.43	335	335	0	0	459.15	459.15	
15	मध्य प्रदेश	17525	15274.22	15274.22	11501.21	11501.21	19236.61	18922.54	22828.7	22315.82	16968.97	16713.29	13415.25	13389.83	0	0	
16	महाराष्ट्र	7728	11726.18	11726.18	12514.91	12514.91	9547	9547	13760.38	13760.38	13802.57	9058.95	11929.09	9016.46	0	0	
17	मणिपुर	1581.9	1118	1118	1100	1100	2260	2260	3790.38	3790.38	5442.48	5442.48	1434.02	1433.82	0	0	
18	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2739.2	2739.2	3788	2749.56	328.25	44.16	
19	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1220	1220	3140	3140	1236.22	1236.22	
20	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3225	3225	2951.12	2951.12	2846.14	2846.14	
21	ओडिशा	13321	14925.04	14925.04	14728.52	14728.52	11806.27	11806.27	11975	11975	17553.22	17553.22	8691.18	8418.84	9010.42	8316.68	
22	राजस्थान	8377	8822.04	8822.04	10190	10190	11072.9	11072.9	10051.83	10051.83	10327.93	10327.93	11461.41	10739.91	8662.66	7974.61	

23	सिक्किम	437	520.25	520.25	353	353	1497.62	1497.62	5986	5986	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	651	217.33	217.33	0	0	600	598.83	894.1	894.1	315	315	450.56	450.36	377.47	377.47
25	तेलंगाना	0	3541	3541	4000	4000	3845.35	3845.35	4493.55	4493.55	2850.32	2850.32	5361.29	5361.29	4191	4191
26	त्रिपुरा	2102.1	1183.94	1183.94	2400.07	2400.07	1345.76	1345.76	1649.77	1649.77	1294.38	1294.38	1362.97	1362.97	1173.3	1173.3
27	उत्तराखंड	139.6	805.83	805.83	0	0	0	0	679	679	1012.88	1012.88	600	600	757.8	747.45
28	उत्तर प्रदेश	0	697.79	697.79	905.51	905.51	121.92	121.92	458.35	458.35	0	0	779.91	0	508.83	0
29	पश्चिम बंगाल	4181.36	5730	5730	6233	6233	5995.5	5995.5	5397.11	5397.11	5833.41	5833.41	5862.58	5862.58	3746	3746
	कुल	**105000**	**103999.37**	103596.37	**113217.1**	**111848.9**	**119502.2**	**119039**	**134800**	**134287.1**	**134500**	**129500.7**	**134562**	**121818.9**	**79536.82**	**61268.4**

		प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना								
क्र.		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25***		**2025-26***
सं.	**राज्य**	**कुल**	**उपयोगिता प्रमाण पत्र**	**कुल**	**उपयोगिता प्रमाण पत्र**	**कुल**	**उपयोगिता प्रमाण पत्र**	**कुल**	**उपयोगिता प्रमाण पत्र**	**2025-26 में एसएनए स्पर्श पर समाप्त बिल**
		निर्मुक्ति	**(यूसी) प्राप्त हुआ**	**निर्मुक्ति**	**(यूसी) प्राप्त हुआ**	**निर्मुक्ति**	**(यूसी) प्राप्त हुआ**	**निर्मुक्ति**	**(यूसी) प्राप्त हुआ**	
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	733.68	733.68	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	8743.02	8743.02	11538.22	11538.22	7182.38	7182.38	5186.19	3591.19	596.54
4	बिहार	774.44	774.44	0	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	15595.8	13215.86	23021.82	7011.84	0	0	0	0	0
6	डीएनडीडी	0	0	173.23	0	0	0	0	0	0
7	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	15916.78	7428.46	19401.76	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	377.03	377.03	288.09	288.09	0	0	0	0	40.75
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	932.39	599.14	0	0	0	0	0
11	लद्दाख	0	0	470.53	470.52	0	0	0	0	0
12	झारखंड	6531.79	0	6915.28	0	0	0	0	0	0
13	कर्नाटक	2139.9	2139.9	937.48	840.7	0	0	0	0	0
14	केरल	0	0	0	0	61.19	0	30	0	0
15	मध्य प्रदेश	12268.76	12268.76	27694.54	20375.3	0	0	0	0	0
16	महाराष्ट्र	0	0	13485.5	10105.81	0	0	0	0	0
17	मणिपुर	427.98	425.18	295.47	0	0	0	0	0	0
18	मेघालय	0	0	3342.3	1290.03	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	580.83	580.83	1818.61	1818.61	1112.009	1112.009	1468	1468	934.01
20	नागालैंड	886.53	886.53	2233.97	2233.97	0	0	3827.44	3827.43	1926.73
21	ओडिशा	2771.68	2771.68	1001.24	1001.24	3044.42	1380.15	0	0	1423.66
22	राजस्थान	7224.71	4600.93	15269.66	0	0	0	0	0	0
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	285.32	251.95	285.62	211.39	855.805	854.27	461.37	0	662.44
25	तेलंगाना	2262.18	2262.18	1681.04	1681.04	0	0	1646	1646	0

26	त्रिपुरा	631.78	631.78	904.48	899.99	2737.23	2425.01	0	0	0
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	पश्चिम बंगाल	0	0	3495.2	0	0	0	0	0	0
	कुल	**78152.21**	**58092.21**	**135186.4**	**60365.88**	**14993.04**	**12953.82**	**12619**	**10532.62**	**5584.13**

*अनंतिम

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत वर्ष 2013-14 से 2025-26 के दौरान जारी की गई निधि का ब्यौरा (लाख रुपये में)

राज्य	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*	2025-26 (12.02.2026 तक *)
आंध्र प्रदेश	307.1091	86.51254	2183.709	431.5245	1293.967	128.7635	101.5722	50.2608	162.2866	183.0131	92.19195	249.0834	133.4334
अरुणाचल प्रदेश	684.2768	492.4707	95.69894	456.0509	642.885	487.1134	355.9569	271.843	237.7899	213.909	205.7397	639.0913	489.1604
असम	173.4242	159.8743	57.8517	230.6606	384.663	286.5215	62.13405	40.61646	185.1248	214.4602	121.7467	284.4746	215.5902
छत्तीसगढ़	139.3094	88.69348	16.2027	105.6017	112.4806	174.8224	159.4862	49.00346	130.3687	138.4165	140.6435	250.8344	44.36253
दिल्ली		15.1129		9.071711	17.14742	5.40869		13.16151	14.28775	8.3145		17.41684	5.83764
गुजरात	1543.784	2155.915	1755.706	2969.868	1585.626	240.1152	178.881	120.9835	104.0305	284.7319	299.1675	338.786	270.6518
हिमाचल प्रदेश	153.0797	170.7404		277.3386	251.0964	280.1571	179.5374	224.2526	131.5456	226.0227	437.2185	578.272	40.78917
जम्मू और कश्मीर	18.4938	40.35911			19.68601	19.68822	15.87901	46.39377	26.7291	36.7623		49.279	0.4375
झारखंड	307.293	701.6857	226.2662	405.759	966.2873	1286.317	1075.146	501.3698	697.1192	881.91	918.7556	2666.315	796.297
कर्नाटक	220.629	312.4874	227.2535	389.099	304.5387	484.7588	254.9747	116.5104	222.9378	290.586	247.3345	520.8624	335.4526
केरल	70.23003	99.0737	96.2546	113.5505	66.55688	77.30092		120.8248	142.8147	129.4777	7.52581	186.7455	194.34
लद्दाख			0	0					43.08595	74.32575	84.53665	181.7933	57.10052
मध्य प्रदेश	750.739	672.9274	210.1187	572.8334	527.5052	967.025	491.9998	223.8857	1102.693	1091.13	975.5579	1438.542	622.5507
महाराष्ट्र	157.559	232.9778	33.77213	361.3387	527.3457	566.9194	628.5915	402.5729	673.9848	1358.805	1047.527	1550.501	839.2619
मणिपुर	213.8141	210.9155	63.4635	394.0621	264.2895	206.1883	330.975	280.9235	602.0299	207.5395	406.0878	657.2946	342.3139
मेघालय	906.8775	702.6002	274.7921	606.9277	757.0396	851.4238	1453.477	845.0059	776.023	2132.055	914.8314	2017.335	1347.521
मिजोरम	40.26663	40.3956		40.16475	55.89524	93.73256	47.11528	69.63997	111.5125	51.50495	38.69288	158.847	40.47167

नागालैंड	10.50361	136.0744		24.48		37.97873							7.85475
ओडिशा	1844.775	569.06	1231.608	2386.788	2271.151	3415.394	2939.976	1536.819	2424.817	2049.495	4095.845	2885.478	2779.013
राजस्थान	109.7658	179.9612	31.82749	216.6108	39.63317	294.1925	171.845	189.7992	101.6558	269.2142	217.6751	498.9536	269.5511
सिक्किम	28.29	25.64384	54.54113	52.0533	90.81202	85.01627	30.46526	9.46123	27.1836	46.81356	53.15775	117.1079	35.28135
तमिलनाडु	128.092	35.09519	11.8179	70.11019	342.0453	360.3299	289.0875	117.0303	274.7385	250.3097	377.2922	189.1002	321.2499
तेलंगाना	23.72423	434.3178	500.5214	1357.624	398.6709	53.63885	10.9677	54.81754	56.64219	39.99477	96.97708	208.0321	43.54111
त्रिपुरा	1.0737	17.1531	15.8247	66.0204	32.61804	57.71765	46.56113	33.54479	1.56271	95.68845	42.08501	186.6313	132.7845
उत्तर प्रदेश	16.83981	69.04581	22.18403	34.48897	67.43175			112.2294	32.20666	61.4949	51.0276	140.361	42.13639
उत्तराखंड	90.24302	118.6674	17.66858	112.6387	37.42689	133.811	15.5817	48.54462	64.22488	112.9269	44.30032	98.68091	8.49106
पश्चिम बंगाल	360.5739	452.5282	377.9176	315.3345	937.4378	805.6655	644.8319	470.5058	577.6052	476.0994	1167.794	1390.183	298.4164
कुल	8300.765	8220.288	7505	12000	11994.24	11400	9485.042	5950	8925	10925	12083.71	17500	9713.891

*अनंतिम

एनएसटीएफडीसी और लाभार्थियों द्वारा संवितरित ऋण राशिः (लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
		राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
1	आंध्र प्रदेश	0	3313.14	691.3	2961.24	781.72	1285.03	5022.24	1127.19	4119.8	5551.49	6039.21
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	245				0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	4653	1863.6	1016.73	689.5	324.25		970.52	814.01	699.9	25.77	17.88
4	असम	46	10	172.32	19.06	4.92	58.2	5			40.02	24.24
5	बिहार								11.48		3.06	0
6	छत्तीसगढ़	20.53	936.81	506.47	1348.85	533.55	932.16	197.49	1398.99	296	227.29	499.43
7	दादरा और नगर हवेली										4.55	0
8	गोवा	0	0	0	0	0					0.22	0
9	गुजरात	2353.39	2137.84	3848.22	4739.9	2329.32	394.75	1442.03	2022.5	1019.61	2810.12	4931.39
10	हरियाणा					0.41						0
11	हिमाचल प्रदेश	94.01	11.32	42.3	79.83	82.3	40.83	13.4	14	56.9	2.19	30.6
12	जम्मू और कश्मीर	0.69	271	172.5	370.05	1249.5	446.25	408.75	1362.87	1272.54	295.19	1102.49
13	झारखंड	41.67	204.5	411.91	4.05	85.7	633.17	1001.6	1422	3	684.25	247.45
14	कर्नाटक	2500	0	0	0	26.89	47.38	3109.08	1369.31	1582.42	853.41	1854.44

15	केरल	95.18	83.92	129.91	95.72	143.39	128.31	298.76	637.3	720.73	446.74	684.8
16	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0						73.53
17	मध्य प्रदेश	692.99	687.82	1084.7	2157.2	2014.57	4176.26	3360.1	2755.01	5392.05	1759.58	1660.72
18	महाराष्ट्र	0	0	0	0	9.43	1167.56	37.27	209.06	658.19	2523.52	567.76
19	मणिपुर	200	0	0	0	0		62.37		25	235.49	102.8
20	मेघालय	517.57	311.75	244.64	663.25	3090.6	1745.18	4485.43	694.81	470.6	475.91	298.09
21	मिजोरम	122.73	984.72	2277.87	3456.09	2136.81	6459.22	3324.18	5450.68	5295.74	6856.69	6948.28
22	नागालैंड	210.4	563.81	79.5	2574.19	1582.23	2413.22	1098.72	693.36	20.39	1199.77	627.08
23	ओडिशा	97.36	8.51	153.6	310.87	199.62	2298.15	1794.44	2457.93	63.19	362.35	883.56
24	राजस्थान	1043.54	321.63	1409.48	3447.84	1470.54	2311.39	2205.16	508.6	789.35	712.22	130.16
25	सिक्किम	0	0	623.9	198.56	0.92	253.3	82.11	62.56		34.23	201.63
26	तमिलनाडु					47.32	28.5	12.5	15	1087.13	3265.67	1210.39
27	तेलंगाना	0	5000	5000	0	10477.15	2740.07	5359.23	3111.55	4583.99	3218.52	5174.31
28	त्रिपुरा	2581.96	69.96	4428.31	3054.2	1009	71.41	2216.28	580.26	48.02	2014.62	1695.98
29	उत्तराखंड	39.2	338.8	21.6	71.97	444.92	102.37	6.15		81.42	32.59	1.92
30	उत्तर प्रदेश	0	0	0	301.32	3.73		1.55			3.37	85.81
31	पश्चिम बंगाल	186.84	540.87	747.6	528.64	1283.3	558.86	275.64	573.91	1643.33	1526.59	2233.75

*अनंतिम

पीवीटीजी के विकास के तहत जारी की गई निधियों और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा (लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		निर्मुक्त निधि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया	निर्मुक्त निधि	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया		

1	आंध्र प्रदेश	3000.00	30000.00	2000.00	20000.00	3240.00	32400.00	5105.00	5105.00	2076.00	2076.00	1837.00	1837.00	3713.43	3713.43	1245.51	258.60	1829.60	1223.83	1645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	2000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.86	157.99	295.91	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	छत्तीसगढ़	1400.00	14000.00	2223.75	2223.75	1809.63	1809.63	1230.00	1230.00	1089.50	1089.50	1051.50	1051.50	1311.35	1311.35	989.32	989.32	996.90	610.86	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	गुजरात	1000.00	10000.00	1091.00	10911.00	898.10	898.10	779.12	779.12	390.67	390.67	604.00	604.00	429.05	429.05	552.20	552.20	761.80	405.62	1731.20	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6	झारखंड	0.00	0.00	301.33	301.33	1627.34	1627.34	3120.00	3120.00	2047.03	2047.03	3295.79	3295.79	847.00	847.00	1777.29	1777.29	1696.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	कर्नाटक	0.00	0.00	8.58	8.58	836.30	836.30	136.00	136.00	467.00	467.00	460.00	460.00	1933.01	1933.01	438.46	438.46	661.17	467.19	1439.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	केरल	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	मध्य प्रदेश	4500.00	45000.00	4272.94	42722.94	4491.92	44911.92	10460.40	9950.40	8232.46	7905.46	7998.09	5642.08	8064.89	6158.10	2188.11	1317.52	2888.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	महाराष्ट्र	2610.00	26100.00	1900.00	19000.00	0.00	0.00	2077.00	2077.00	1226.25	1226.25	1230.26	1230.26	2510.00	1128.51	1411.66	327.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	मणिपुर	100.00	100.00	47.50	47.50	100.00	100.00	329.00	329.00	195.00	195.00	1157.55	1157.55	276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ओडिशा	2000.00	20000.00	2500.00	25000.00	3373.92	33733.92	1164.00	1164.00	1297.00	1297.00	3626.00	3626.00	976.38	976.38	1202.00	1202.00	1197.00	792.24	1796.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

13	राजस्थान	700.00	700.00	1500.00	1500.00	1076.09	1076.09	1331.00	1331.00	1038.00	1038.00	1008.00	1008.00	968.10	968.10	968.00	914.24	706.17	706.17	1120.63	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	तमिलनाडु	2000.00	2000.00	128.35	128.35	1118.89	1118.89	3055.00	3055.00	1770.75	1770.75	0.00	0.00	819.48	745.68	551.08	549.05	1967.81	1967.51	907.70	898.08	0.00	0.00	2723.11	0.00
15	तेलंगाना	0.00	0.00	6000.00	6000.00	1439.04	1439.04	1139.00	1139.00	778.00	778.00	533.00	533.00	538.50	538.50	1460.50	1460.50	1193.04	1193.04	1508.13	1508.13	0.00	0.00	2746.87	0.00
16	त्रिपुरा	950.00	950.00	826.54	826.54	895.56	895.56	2250.00	2250.00	2305.00	2305.00	789.53	789.53	1960.82	1960.82	231.43	231.43	1481.71	1481.71	1402.65	1402.65	0.00	0.00	207.95	0.00
17	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.48	292.48	130.00	130.00	565.86	565.86	489.53	45.23	295.00	295.00	367.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	पश्चिम बंगाल	1300.00	1300.00	0.00	0.00	447.60	447.60	895.00	895.00	330.75	330.75	843.42	843.42	437.47	437.47	519.40	519.40	0.00	0.00	665.95	231.59	0.00	0.00	1631.05	0.00
	कुल योग	**20235.00**	**20235.00**	**17999.99**	**17999.99**	**21354.39**	**21354.39**	**33905.86**	**33110.99**	**23949.28**	**23357.27**	**25000.00**	**21762.97**	**24999.00**	**21192.63**	**14000.00**	**10832.07**	**16000.00**	**8784.99**	**13717.93**	**4275.95**	**0.00**	**0.00**	**7308.98**	**0.00**

एमपीसी के लिए जारी की गई निधियों और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा (करोड़ रुपये में)

राज्य	**वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गई निधियां**	**उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत किया गया**	**वर्ष 2024-25 के दौरान जारी की गई निधियां**	**उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत किया गया**	**वर्ष 2025-26 के दौरान जारी की गई निधियां**	**उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत किया गया**	**2025-26 के दौरान एसएनए स्पर्श पर समाप्त बिल**
आंध्र प्रदेश	14.97	14.97	5	4.9	27.52	-	0.80
बिहार	-	-	-	-	2.1	-	0

छत्तीसगढ़	8.52	7.9	-	-	-	-	6.47
गुजरात	1.66	-	4.37	-	-	-	0
झारखंड	0.62	0.62	1.5	-	16.42	-	0
कर्नाटक	3.33	3.33	10.26	10.26	15.4	14.47	0
केरल	2.29	-	-	-	-	-	0.88
मध्य प्रदेश	25.99	20.82	-	-	-	-	11.30
महाराष्ट्र	12.47	12.47	5	4.65	27.56	-	10.36
मणिपुर	-	-	-	-	3.3	-	0
ओडिशा	12.68	12.68	23.92	1	-	-	1.65
राजस्थान	3.33	3.33	3.44	1.91	-	-	1.29
तमिलनाडु	5.2	5.2	20.67	15.24	-	-	5.07
तेलंगाना	2.91		13.24		-	-	4.36
त्रिपुरा	4.57	4.57	7.5	7.5	-	-	5.27
उत्तर प्रदेश	0.83	-	-	-	-	-	0
उत्तराखंड	0.62	0.62	4.78	1.59	1.8	-	0.87
कुल	**99.99**	**86.51**	**99.68**	**47.05**	**94.1**	**14.47**	**48.30**

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्ष 2025-26 के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा दिनांक 21.01.2026 तक (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्ति
क	ख	च
1	आंध्र प्रदेश	41.15
2	अरुणाचल प्रदेश	11.24
3	असम	11.86
4	बिहार	6.82
5	गुजरात	87.92
6	हिमाचल प्रदेश	.47
7	जम्मू और कश्मीर	39.21
8.	कर्नाटक	28.77
9.	केरल	7.79
10.	मध्य प्रदेश	67.98
11.	महाराष्ट्र	134.33
12.	मणिपुर	9.35
13.	नागालैंड	4.84
14.	ओडिशा	12.54
15.	राजस्थान	83.74
16.	सिक्किम	5.85
17.	तमिलनाडु	2.31
18.	त्रिपुरा	2.30
19.	उत्तर प्रदेश	4.44
20.	पश्चिम बंगाल	.15
21.	छत्तीसगढ़	18.66
22	झारखंड	22.43
23.	उत्तराखंड	1.46
24.	तेलंगाना	43.19
कुल		648.80
